

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड)
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धौवाला, प्रेमनगर, देहरादून
E-mail-uwcds2008@gmail.com Tel No. 0135-2775713 Tel./Fax No. 0135-2775992

पत्रांक संख्या: 247/203/UWCDS/2016-17

दिनांक: 28 जुलाई 2016

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2013 में आयी आपदा को मध्यनजर रखते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त परिवारों की महिलाओं एवं किशोरियों के कृषि, घरेलू कार्य, कार्यबोझ में कमी, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के उद्देश्य से परियोजना "CURE" को क्रियान्वित किये जाने हेतु संस्थाओं/संस्थानों से प्रस्ताव चाहे गये हैं।

आर्हता-

1. संस्था/संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में ही कम से कम तीन वर्ष पूर्व सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/कम्पनी एक्ट/भारतीय ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत होनी अनिवार्य है। साथ ही संस्था/संस्थान का विगत तीन वर्ष का आडिट वार्षिक व्यय सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
2. संस्था/संस्थान को सरकारी विभागों/परियोजनाओं के साथ सौर ऊर्जा, महिला सुलभ कृषि यंत्र, जल प्रबन्धन, संकर (हाइब्रिड) बीज के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. संस्था/संस्थान जो आपदाग्रस्त जनपदों के आपदाग्रस्त विकासखण्डों में उक्त गतिविधियों का कार्य कर रहे हों या किया गया हो एवं जिसके कार्यों का प्रमाण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय से प्रमाणित हो।
4. पहाड़ी क्षेत्रों में पंजीकृत एवं कार्यरत संस्था/संस्थान का विगत तीन वर्षों का औसतन आय-व्यय न्यूनतम 15.00 लाख एवं मैदानी क्षेत्रों में पंजीकृत एवं कार्यरत संस्था/संस्थान का विगत तीन वर्षों का औसतन आय-व्यय न्यूनतम 25.00 लाख का होना अनिवार्य है।
5. संस्था/संस्थान किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से काली सूची में दर्ज न हों।

इच्छुक संस्था/संस्थान अपना आवेदन उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के उपरोक्त पते पर दिनांक 24 अगस्त 2016 सायं 4.30 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन को जमा करने का प्रपत्र विभाग की वैबसाइट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त चयन से सम्बन्धित समस्त अधिकार उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के पास निहित रहेंगे।

निदेशक/उपाध्यक्ष

उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति